



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 11, Issue 6, June 2024



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.802



+91 99405 72462



+9163819 07438



ijmrsetm@gmail.com



www.ijmrsetm.com

भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत और परियोजनाएं

Goutam Chand Regar

M.A, Department of Geography, NET, B.Ed., Pali, Rajasthan, India

सार: भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में नदियाँ, नहरें, कुएँ, टैंक और स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों शामिल हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। नहर सिंचाई, दोनों बड़ी और छोटी, सिंचित भूमि के एक बड़े हिस्से को कवर करती है।

I. परिचय

वैश्विक स्तर पर आंकड़ों को देखें तो जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, उसके बाद इसकी सबसे ज्यादा खपत औद्योगिक क्षेत्र में होती है तथा तीसरे स्थान पर सर्वाधिक उपयोग घरेलू आवश्यकताओं के लिये किया जाता है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के क्षेत्र में भी काफी काम किया गया। 1951 में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 22.6 मिलियन हेक्टेयर था जो कि अब लगभग 68.4 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत भी सिंचाई पर पर्याप्त बल दिया गया।

भारत में सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता:[1]

- 1- भारत के अधिकांश हिस्सों में ऊष्ण जलवायु पाई जाती है जिससे अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। इससे पानी की अधिक खपत होती है।
- 2- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा में असमानता पाई जाती है, जहाँ एक तरफ मेघालय में 1000 सेमी से अधिक वर्षा होती है तो वहीं लद्दाख में 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है। इन कारणों से भी सिंचाई सुविधाओं का विकास आवश्यक हो जाता है, विशेषकर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में।
- 3- भारत में अधिकांश वर्षा एक विशेष मौसम में ही होती है, शेष समय की फसलों को भी सिंचाई का लाभ मिले इसलिये भी इन सुविधाओं का महत्त्व बढ़ जाता है।
- 4- भारत की कुछ मिट्टियों में पानी की अधिक खपत होती है, जैसी रेतीली मिट्टी में। सिंचाई सुविधाओं के विकास से इनमें उत्पन्न होने वाली फसलों को भी पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है।

भारत में सिंचाई के महत्त्व को देखते हुए 2 जुलाई 2015 के दिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को प्रभावशाली बनाते हुए हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधाओं को पहुंचाना है। इस योजना को 2026 तक के लिये बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी 'अंतर मंत्रालई राष्ट्रीय संचालन समिति' द्वारा की जाती है। वहीं जिला स्तर पर जिला समिति द्वारा की जाती है। इस योजना में कृषि, जल संसाधन तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल हैं। इसमें कृषि मंत्रालय सूक्ष्म सिंचाई की सुविधाओं के विकास में संलग्न है तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास वर्षा जल संरक्षण से जुड़ी सुविधाओं के विकास का दायित्व है। इसके साथ ही जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को जल वितरण प्रणालियों के विकास का दायित्व सौंपा गया है।

सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार:

इनमें लघु सिंचाई परियोजनाएँ, मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ एवं वृहद सिंचाई परियोजनाएँ शामिल हैं।

लघु सिंचाई परियोजनाओं में 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र शामिल होता है, इसमें तालाब, नलकूप, सूक्ष्म सिंचाई इत्यादि साधन शामिल होते हैं। आधे से अधिक (लगभग 62%) सिंचाई देश में इन्हीं माध्यमों से होती है। जून 2010 में राष्ट्रीय लघु/सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई।

मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में नहर सिंचाई प्रमुख माध्यम है और इसमें 2000 से 10 हजार हेक्टेयर तक का क्षेत्र शामिल होता है।

वृहद सिंचाई परियोजनाओं में 10 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसमें बड़े बांधों का निर्माण भी शामिल है।

कई कारणों से वृहद सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा सकती। इनकी प्रमुख समस्याओं में उचित रखरखाव में कमी, वित्तीय समस्याएँ, गाद जम जाना, जल रिसाव, अति सिंचाई, विस्थापन, पुनर्वास, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव इत्यादि हैं। सरकार इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास कर रही है।

सिंचाई के प्रमुख स्रोत:

इन स्रोतों में प्रमुख रूप से नलकूप, तालाब, नहर, नदियाँ इत्यादि शामिल हैं। नलकूप सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है, हरित क्रांति को सफल बनाने में भी इसकी प्रमुख भूमिका है। हालाँकि इससे भूजल स्तर में काफी गिरावट भी देखने को मिली है।

तालाब सिंचाई मुख्य रूप से पूर्वी व दक्षिण भारत में प्रचलित है। तामिलनाडु के लगभग 19 प्रतिशत भाग में तालाब सिंचाई ही प्रचलित है। नहर से देश के लगभग 26 भाग में सिंचाई होती है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा नहर तंत्र भी है।

सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली: किसी भी स्थान पर सिंचाई प्रणालियों का चयन मृदा, उच्चावच, पानी की उपलब्धता, फसल की आवश्यकता इत्यादि आधारों पर तय होता है। भारत में मुख्यतः चार प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। इसमें सतही सिंचाई, उप सतही सिंचाई, टपकन सिंचाई तथा फुहार सिंचाई शामिल है। सतही सिंचाई में जलप्लावित तथा सीमाबद्ध सिंचाई शामिल है, उप सतही सिंचाई में फसलों के जड़ वाले क्षेत्र में छिद्रयुक्त पाइपों के सहारे जल पहुँचाया जाता है। इससे कम पानी में सिंचाई हो जाती है पर यह लागत और रखरखाव के कारण अधिक लोकप्रिय नहीं है। फुहार सिंचाई में पाइपों से पानी खेत तक जाता है तथा उसके बाद बारिश की तरह फसलों पर छिड़काव किया जाता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है तथा मृदा अपरदन भी नहीं होता है। हालाँकि तेज हवा इसे प्रभावित करती है तथा इसकी लागत इतनी उच्च होती है कि आम किसान इसे लगवा नहीं पाता है। टपकन सिंचाई में प्लास्टिक के पाइप्स द्वारा फसलों की जड़ वाले क्षेत्र के पास पानी पहुँचाया जाता है। यह इजराइल, अमेरिका, स्पेन जैसे देशों में भी काफी लोकप्रिय तरीका है तथा प्रचलित है। इसमें मृदा अपरदन की भी दिक्कत नहीं होती है साथ ही उर्वरकों की भी बचत हो जाती है। अन्य प्रमुख सिंचाई प्रणालियों में सीढ़ीनुमा सिंचाई भी शामिल है। सीढ़ीनुमा सिंचाई मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ समतल भूमि का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त फर्टिगेशन भी एक तरीका है जिसमें उर्वरक को जल में मिश्रित करके पौधे तक पहुँचाया जाता है।

दक्ष सिंचाई के लिए कुछ प्रमुख सुझाव:

- 1- सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जाए और खरपतवार नियंत्रण पर काम किया जाए।
- 2- सिंचाई से पहले ही खेतों को समतल बनाया जाए [2], नालियों और क्यारियों का निर्माण हो तथा नियमित रूप से इनकी साफ-सफाई की जाती रहे।
- 3- प्रत्येक फसल की सिंचाई में पानी की उतनी ही मात्रा का प्रयोग किया जाए जितनी मात्रा का सुझाव कृषि वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों द्वारा सुझाया जाए।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और सिंचाई कृषि की आधारभूत आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र पर प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हर खेत तक पानी पहुँचाने का सपना साकार हो सके और कृषि उपज बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाने और गरीबी में कमी लाने में सहायता मिल सके।

II. विचार-विमर्श

स्वतंत्रता के बाद भारत पूर्णतः खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर नहीं था | देश में खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए देश में अनाज अन्य देशों से आयात किया जाता था।

भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय परियोजना में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भाखड़ा-नंगल बाँध और हीराकुंड बाँध सहित अनेक सिंचाई परियोजनाएँ इस अवधि के दौरान [3] शुरू की गई थी।

सरकार के घटनाक्रम के चलते 1947 से अब तक कुल सिंचित क्षेत्र में 5 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन 2015 के आंकड़ों के अनुसार अभी भी शुद्ध बोये गये पर्वत का मात्र 46% ही सिंचित है और शेष 54% पर्वत अभी भी वर्षा जल पर ही निर्भर है।

भारत में सिंचाई के लिए कुआँ, तालाब, नहर और नलकूप आदि उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं।

भारत में सबसे अधिक सिंचित पर्वत वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद सिंचित पर्वत वाला राज्य आता है: राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश।

कुल द्वीप के प्रतिशत की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा सिंचित राज्य पंजाब है। पंजाब का लगभग 97% हिस्सा सिंचित क्षेत्र का प्रभावित है।

भारत में सबसे बड़ा असिंचित द्वीप वाला राज्य महाराष्ट्र है तथा दूसरे स्थान पर राजस्थान राज्य है।

महाराष्ट्र का कारकांश क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के छाया में शामिल है। अर्थात् अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर तो वर्षा होती है और पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर वर्षा नहीं हो सकती, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग सूख जाते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कुआँ और नलकूप आदि भी नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि यहाँ की भूमि पथरीली है। इसके साथ ही यहाँ वर्षा भी नहीं होती, जिसके कारण यहाँ तालाब आदि नहीं पाये जाते।

देश में कुल सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान कुआँ और नलकूपों का है। देश में नहरों द्वारा लगभग 32% सिंचाई होती है, जबकि तालाबों द्वारा लगभग [4] 6% क्षेत्रों में सिंचाई होती है तथा शेष 5% क्षेत्र पर सिंचाई अन्य भार द्वारा की जाती है।

देश में नहरों द्वारा सिंचित शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य हैं।

आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों से अनेक नहरें निकाली गईं। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश में नहरी सिंचाई में तीसरा स्थान पर पहुँच गया है।

दक्षिण भारत में तालाबों का जल पारंपरिक रूप से सींचा जा रहा है, जिसका मुख्य कारण भौगोलिक है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग वर्णित है। भूमि के पथरीली होने के कारण यहाँ नहरें बनाना आसान नहीं होता है। दूसरी ओर यदि किसी तरह यहाँ नहरें बना भी दी जाएँ तो यहाँ सतह पर सूक्ष्म पौधे पायी जाती हैं। इन दरारों से नहरों का जल जोखिम निकल जाता है। यहाँ कुआँ खोदना भी अत्यन्त दुष्कर है।

यदि नदियों से नहरों को निकाला भी जाए तो इन नहरों से विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ सूखी हैं। इन नदियों में गुप्त काल में तो पर्याप्त जल रहता है, और गुप्त के समाप्त होने के बाद धीरे-धीरे इन नदियों का जल कम होने लगता है। ऐसी कम जल वाली नदियों से नहरों के निर्माण से विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रायद्वीपीय भारत के उबड़-खाबड़ होने के कारण यहाँ थालानुमा स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इन स्थलाकृतियों में वर्षा का जल भर जाता है।

धरातल के चट्टानी होने के कारण यहाँ जल का ताज़ा नहीं हो पाता है, जिसके कारण दक्षिण भारत में तालाबों में देर तक पानी बना रहता है। दक्षिण भारत में शिवलिंग को सिंचाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

देश में तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई आन्ध्र प्रदेश और उसके बाद दक्षिण भारत में तमिलनाडु में की जाती है।

देश में नलकूपों द्वारा सिंचित शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद पंजाब और बिहार का स्थान दर्ज : दूसरा एवं तीसरा नंबर पर है [5]

योजना आयोग ने देश में सिंचाई के उद्देश्यों को तीन स्वरूपों में विभाजित किया है –

(i) वृहदसिंचन परियोजनाएं

(ii) मध्यम जल संचयन परियोजनाएँ

(iii) लघु सिंचाई परियोजनाएं

वृहदसिंचन परियोजनाएं

इस परियोजना के तहत ऐसी सिंचाई परियोजना को शामिल किया जाता है, जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती है। उदाहरण के लिए देश के सभी बड़े टुकड़े जैसे – भाखड़ा नंगल टुकड़ा, बगलीहार परियोजना और टिहरी परियोजना आदि को शामिल किया जाता है।

इसके साथ ही बड़े-बड़े भोगों से निकाली गई नहरें भी इसी तरह की परियोजनाओं के शामिल की जाती हैं। जैसे – इन्दिरा गाँधी नहर, शारदा नहर आदि।

III. परिणाम

मध्यम सिंचाई परियोजनाएं


ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जो 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम झीलों को सिंचित करती हैं, उन्हें मध्यम सिंचाई परियोजना के दायरे में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए- छोटी नहरों को मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है।

लघु सिंचाई कार्यक्रम

2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना के तहत शामिल किया गया है।

लघु सिंचाई परियोजना के छत तालाब, नलकूप, कुआँ और ड्रिप सिंचाई आदि को शामिल किया जाता है।

देश में सबसे अधिक सिंचित पर्वत लघु सिंचाई परियोजना अर्थात् तालाब, कुआँ और नलकूप आदि के द्वारा ही किया जा रहा है।



जुलाई २०१५ में शुभारंभ[4,5]

हर खेत (हर खेत को पानी) और अधिक उत्पादकता (प्रति बूँद अधिक फसल) को सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री की पहल

PMKSY के पास ३ केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अंतर्गत ४ घातक हैं

AIBP - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

हर खेत को पानी (CADWM, RRR एवं लघु सिंचाई) - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

प्रति बूँद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई)- कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण मंत्रालय

जलविभाजन विकास (IWMP and MGNREGS)- ग्रामीण विकास मंत्रालय

कुएँ तथा नलकूप

- देखा जाये तो कुएँ तथा नलकूप की सिंचाई,
- जलोढ़ मैदानों में आम बात है।
- और, भारत में कुल सिंचाई का 46%,
- कुएँ तथा नलकूप द्वारा की जाती है।
- तथा, भारत में राजस्थान के रेगिस्तानों को छोड़कर देश के,
- बाकी राज्यों में कुएँ तथा नलकूप द्वारा सिंचाई किये जाते हैं,
- और, भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक,
- गुजरात, यूपी तथा बिहार के मैदानी राज्यों में,
- सिंचाई अधिक प्रमुख रूप से होते हैं।

नहर की सिंचाई

- दोस्तों भारत में कुएँ और नलकूपों की सिंचाई के बाद,
- नहरों की सिंचाई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- और, भारत में कुल सिंचाई का 25% नहरों द्वारा की जाती है।
- इसके साथ, नहरों द्वारा उन ज़मीनों की भी सिंचाई की जाती हैं,
- जहां पर बड़े मैदान, उपजाऊ मिट्टी और बारहमासी नदियाँ होती हैं,
- और, उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाके नहरों से सिंचित हैं।
- तथा, भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश,
- राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा आदि राज्यों में,
- नहरों की प्रक्रिया द्वारा सिंचाई होती है।

टैंक सिंचाई

- यह सिंचाई प्रक्रिया पथरीला पठार क्षेत्र में अधिक होते है।
- और, भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश,
- तमिलनाडु के अंदरूनी और आंध्र प्रदेश के,
- कुछ हिस्सों में टैंक सिंचाई यानि जल को,
- एकत्रित करके रखने के लिए पर्याप्त भूमि है
- और, वहा के मौसमी में वर्षा अत्यधिक होते है।
- इसके साथ भारत में कुल 8%,[3,4]
- अन्य सिंचाई स्रोत द्वारा पूरा किया जाता है।

सिंचाई के स्रोतों में रुझान

1950-51 के बाद से, सरकार ने नहरों के तहत कमांड क्षेत्र के विकास को काफी महत्व दिया था। 1950-51 में, नहर सिंचित क्षेत्र 8.3 मिलियन हेक्टेयर था और वर्तमान में यह 17 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बावजूद, नहरों का सापेक्षिक महत्व 1951 में 40% से घटकर 2010-11 में 26% हो गया। दूसरी ओर, कुओं और नलकूपों में कुल सिंचित क्षेत्र का 29% हिस्सा होता है और अब वे कुल सिंचित क्षेत्र का 64% हिस्सा साझा करते हैं।

वेल इरीगेशन के तहत राज्य

राजस्थान के रेगिस्तान को छोड़कर देश के जलोढ़ मैदानों में सिंचाई आम है। यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के मैदान ऐसे राज्य हैं जो अच्छी तरह से सिंचाई के तहत अधिक प्रमुख हैं। इन राज्यों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का भी बहुत अधिक महत्व है।

नहर सिंचाई के अंतर्गत राज्य

भारत में कुओं और नलकूपों के बाद नहरें, सिंचाई का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नहरें उन जमीनों की सिंचाई कर रही हैं जिनमें बड़े मैदान उपजाऊ मिट्टी और बारहमासी नदियाँ हैं। उत्तर भारत के मैदान ज्यादातर नहर सिंचित हैं। अन्य भाग तटीय कम भूमि और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग हैं। ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी।

टैंक सिंचाई के अंतर्गत प्रमुख राज्य

टैंक सिंचाई का प्रयोग चट्टानी पठारी क्षेत्र में अधिक होता है, जहाँ वर्षा निर्धारित नहीं होती है और अत्यधिक मौसमी होती है पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु के अंदरूनी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में टैंक सिंचाई के तहत अधिक भूमि है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हिन्दी: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।^[1] वर्ष 2015-2016 की समय अवधि में इस योजना के लिए ₹53 अरब (US\$773.8 मिलियन) का बजट आवंटित किया गया है।^[2] यह निर्णय 1 जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। योजना को 5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अवधि के लिए 50000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।^[3]

प्रमुख उद्देश्य[1,2]

- क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण
- सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करें (हर खेत को पानी)
- पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करें
- सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल) में सटीक होने के तरीके को अपनाना

प्रयोजन


पीएमकेएसवाई के प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। इसके अलावा योजना में मंत्रालय, कार्यालयों, संगठनों, अनुसंधान और वित्तीय संस्थानों को एक मंच के तहत जल संग्रहण के निर्माण और पुनर्चक्रण के एक साथ लाने के लिए कहा गया है ताकि पूरे जल चक्र का एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण पुरा हो सके। लक्ष्य सभी क्षेत्रों में इष्टतम पानी के बजट के लिए दरवाजे खोलना है। पीएमकेएसवाई के लिए टैगलाइन "प्रति बूंद अधिक फसल" है।^[4]

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को 26 अक्टूबर 2015 को वर्तमान पीएमकेएसवाई में शामिल किया गया था। आईडब्ल्यूएमपी की मुख्य कार्यन्वयन गतिविधियाँ अपरिवर्तित थीं और आईडब्ल्यूएमपी के सामान्य दिशानिर्देश 2008 (संशोधित 2011) के अनुसार थीं। अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण, वित्तीय संसाधनों के इष्टतम और विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में

कार्यक्रम के लिए एजेंडा में सबसे ऊपर है। MGNREGS के श्रम घटक का उपयोग करके और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ अभिसरण में प्रवेश बिंदु गतिविधियों में से कुछ का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी कार्रवाई की गई है।


IV. निष्कर्ष

भारत में सिंचाई के बारे में मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात् हम ये जानते थे की भारत एक कृषिप्रधान राष्ट्र है फिर भी हमने पानी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं किया। महानगरों में पाने के लिए तो देहात में सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन हमने जुटाए नहीं अरबों क्यूसेक पानी हमारा बाड के रूप में बाह गया. बिहार ,गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ,आसाम या त्रिपुरा में जलप्रलय लाखों लोगोंको विस्थापित करता है तो महाराष्ट्र तथा राजस्थान में १० लीटर पानी के लिए ३ km या उससे भी दूर जाना पड़ता है[2,3]



संदर्भ

1. V.K Puri and S.K. Mishra Himalya Publishing House Indian Economy 34th Edition 2016
2. ↑ "Govt approves Rs53,00 crore irrigation package to boost agriculture". livemint.com. मूल से 20 अक्टूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2015-11-17.
3. ↑ "कृषि विभाग यूपी पंजीकरण - सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण के कारण". पीएम योजना, केंद्रीय और राज्य सरकार योजनाओं, केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों पर समाचार प्राप्त करें. 2018-11-05. मूल से 20 अक्टूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-11-05.
4. ↑ "Centre to spend Rs 5,300 crore under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana", Daily News and Analysis
5. ↑ "Department of Land Resources - Schemes Implemented". 5 February 2019. मूल से 20 अक्टूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 अक्टूबर 2019.



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT



+91 99405 72462



+91 63819 07438



ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com